राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक : प.8(च)नियम(स्था.शा.) (96) 11222 दिनांक : 10.12.99

:: अधिसूचना ::

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.8(च)(नियम)स्वा.शा.वि.(96) 6039, दिनांक 17.01.97 को अधिक्रमित करते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 299 सपठित धारा 171 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद, उदयपुर में स्थित झीलों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने तथा पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए अद्योलिखित क्षेत्र को प्रतिषेध क्षेत्र (Prohibited Area) घोषित करती है। धारा 171 की शक्तियों का प्रयोग नगर परिषद एवं नगर विकास प्रन्यास अपने अपने क्षेत्र में उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

उदयपुर शहर की झीलों के इर्द–गिर्द नियन्त्रित निर्माण क्षेत्र :

1. स्वरूपसागर पुलिया से लक्ष्मी विलास होटल को जाने वाली सड़क से होते हुए जिंक ऑफिस, हिन्दुस्तान जिंक स्टाफ क्वार्टर व मोती मगरी योजना को बाहर छोड़ते हुए लक्ष्मी विलास होटल की पूर्व सीमा से मोती मगरी महाराणा प्रताप स्मारक की बाहरी सीमा से होते हुए फतहसागर जाने वाली सड़क नीलकण्ठ महादेव मन्दिर को बाहर छोड़ते हुए सहेलियो की बाड़ी के बने परकोटे के सहारे सहारे टेक्नोक्रेट सोसायटी, यू.आई.टी. कार्यालय एवं सहेलियों की बाड़ी मार्ग पर न्यास योजना के भूखण्ड़ों को बाहर छोड़ते हुए इम्पीरियल डेयरी नामी भूमि एवं सहेलियों की बाड़ी को सम्मिलित करते हुए सहेलियों की बाड़ी के उत्तरी परकोटे के सहारे–सहारे आराजी संख्या 2740, 2727, 2720 एवं 2725 को अन्दर सम्मिलित करते हुए आराजी संख्या 2675 के रास्ते तक। आराजी संख्या 2675 के रास्ते--रास्ते से उत्तरी दिशा में आराजी संख्या 2676, 2682, 2684, 2685, 2686 को सम्मिलित करते हुए देवाली गांव को बाहर छोड़ते हुए फतहसागर के उत्तरी गेट से होते हुए बड़ी जाने वाली सड़क के तिराहे आराजी संख्या 2536 तक। बड़ी जाने वाली रोड के तिराहे से एस.आई.आर.टी. एवं नीमचमाता योजना को बाहर छोड़ते हुए राजस्व ग्राम देवाली के खसरा संख्या 1628 की दक्षिणी पूर्वी किनारे तक।

2. राजस्व ग्राम देवाली के खसरा नम्बर 1628, 1398, 1399, 1396, 1397, 1369, 1370 को शामिल करते हुए हवाला खुर्द की सीमा तक। यहां से दक्षिण दिशा में ग्राम हवाला खुर्द की सीमा के सहारे सहारे बढ़ते हुए बड़ी रोड तक। बड़ी रोड से ग्राम हवाला खुर्द के खसरा संख्या

332, 333, 336, 335, 337, 339, 340, 341, 371, 372, 376, 377, 378, 382, 431, 432, 433, 441,442, 458, 450, 1315 में होकर जा रही सड़क के सहारे 615, 614, 616, 612, 656, 657, 662, 666, 672, 671, 670, 1071 को शामिल करते हुए तथा खसरा संख्या 1070 रास्ते के सहारे सहारे चलते हुए दक्षिण दिशा में राजस्व ग्राम हवाला कला की सीमा तक। यहां से ग्राम हवाला कलां के खसरा नम्बर 141, 142, 143, 148, 146, 145 को शामिल करते हुए तथा ग्राम हवाला कला की आबादी भूमि के खसरा संख्या 113 को बाहर छोड़ते हुए दक्षिण दिशा में ग्राम सीसारमा की सीमा तक।

3. यहां से ग्राम सीसारमा की राजस्व सीमा के सहारे सहारे पूर्व दिशा में जाते हुए खसरा नम्बर 1642, 1643, 1650, 1649, 1654, 1721, 1727, 1730, 1733, 1734, 1853, 1854, 1860, 1861 को सम्मिलित करते हुए खसरा नम्बर 2136 रास्ते के सहारे सहारे दक्षिण दिशा में चलते हुए खसरा संख्या 2196 तक। यहां से खसरा नम्बर 2194, 2250, 2252 को सम्मिलित करते हुए सज्जनगढ़ रोड तक। यहां से राजस्व ग्राम सीसारमा के खसरा संख्या 2410, 2419, 2425 को सम्मिलित करते हुए सीसारमा रोड तक। यहां से खसरा संख्या 2827, 2819 के रास्ते से होते हुए खसरा संख्या 2824 को बाहर छोड़ते हुए खसरा संख्या 2873, 2620, 2640 के रास्ते से होते हुए खसरा संख्या 2644 को शामिल करते हुए खसरा संख्या 2652, 2658 को बाहर छोड़ते हुए तथा 2660 को सम्मिलित करते हुए सीसारमा जाने वाली सड़क सीसारमा आबादी के उत्तर एवं सीसारमा रोड के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 3690, 3693, 3699, 3700, 3684, 3683, 3679, 3678, 3677, 3717, 3718, 3719, 3720, 3735, 3737, 3655, 3756, 3767, 3764, 3783, 3784, 3785, 3786, 3795, 3797, 3798, 3802, 3807, 3809, 3810, 3811, 3812, 4044, 4006, 4009, 4091, 4099, 4094, 4093, 4092 को शामिल करते हुए पूर्व दिशा में सीसारमा गांव से जलबुर्ज को जाने वाले रास्ते तक।

4. ग्राम सीसारमा से जलबुर्ज को जाने वाले रास्ते के सहारे सहारे सेना की छावनी को बाहर छोड़ते हुए तथा उदयपुर शहर के खसरा नम्बर 393, 1903/393, 401 व वन विभाग की नर्सरी को शामिल करते हुए तथा माछला मगरा की चोटी पर बनी शहर कोट के सहारे सहारे होते हुए इसी सीध में उत्तर दिशा में स्थित शहर के खसरा नम्बर 410, 411 एवं समोर बाग को सम्मिलित करते हुए समोर बाग व गुलाब बाग के बीच की सड़क तक।

5. समोर बाग व गुलाबबाग के बीच की सड़क से पैलेस जाने वाली सड़क के सहारे सहारे पैलेस की पूर्वी सीमा–सीमा होते हुए पैलेस के उत्तरी दरवाजे तक। यहां से श्री गुलाब स्वरूप

बिहारी जी के मंदिर को बाहर छोड़ते हुए बटु जी का दरवाजा वाली गली होते हुए जगत शिरोमणी का मन्दिर, जगदीश मन्दिर एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को बाहर छोड़ते हुए गिरधारीलाल जी के मंदिर के सामने वाले तिराहे तक। गिरधारीलाल जी के मन्दिर को अन्दर शामिल करते हुए कंवरपदा स्कूल, नानी गली, मादड़ी की हवेली, छोटा पुरोहित जी की हवेली, बड़ा पुरोहित जी की हवेली, सीधी लाईन अर्थात् पिछोला, रंग सागर, स्वरूप सागर की तरफ के प्राकृतिक ढलान वाले छोर को सम्मिलित करते हुए रंग सागर एवं स्वरूप सागर की बीच की पुलिया तक के झील की तरफ के प्राकृतिक ढ़लान के क्षेत्र को अन्दर सम्मिलित करते हुए हाथीपोल जाने वाली सड़क के सहारे सहारे होटल राजदर्शन को अन्दर शामिल करते हुए हाथीपोल मार्केट को बाहर छोड़ते हुए स्वरूप सागर की पाल होते हुए स्वरूपसागर की पुलिया तक के बीच का समस्त क्षेत्र।

राज्यपाल की आज्ञा से

शासन उप सचिव

क्रमांक : प.8(च)(नियम)स्था.शा.(96) 11223–11231 दिनांक : 10.12.99

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रणालय विभाग, राज. जयपुर की आगामी असाधारण अंक में राजपत्र के भाग छः (ग) में प्रकाशनार्थ एवं तीन सौ प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने हेतु।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर।
6. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
7. शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
8. सुरक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव